मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल– 462004
//आदेश//

भोपाल दिनांक 27 फरवरी 2015

क्रमांक एफ–31–03/2015/सत्ताईस–एक इस विभाग में आदेश क्र. 377/148/2015/सत्ताईस एक दिनांक 30.01.2015 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.01.2015 एवं 16.01.2015 के अनुपालन में सरदार सरोवर परियोजना के शिकायत निवारण प्राधिकरण में पांच बैंचों का गठन किया गया है। राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश की कंडिका 2 में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त पांच न्यायाधीशों की निम्नानुसार सेवाशर्तों का निर्धारण करता है:–

1. माननीय न्यायमूर्तिगणों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्त के पूर्व उनको प्राप्त अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि वेतन के रूप में निर्धारित करने तथा भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवाशर्त एक्ट 1954 एवं समय–समय पर उसमें किये गये संशोधनों में उल्लेखित अन्य सुविधायें एवं भत्ता आदि के भुगतान करने के प्रावधान लागू होगें।
2. उपरोक्त पद पर होने वाला व्यय मांग संख्या 48/4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4406–सरदार सरोवर परियोजना के डूबने से प्रभावित क्षेत्र में भू–अर्जन तथा अन्य कार्यों पर होने वाले व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26-2-15

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

क्रमांक एफ–31/03/2015/सत्ताईस–एक

भोपाल दिनांक 27 फरवरी 2015

प्रतिलिपि

1. अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण, सरदार सरोवर परियोजना भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव (वित्त) विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल।
5. सचिव, मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
8. आयुक्त (पुनर्वास एवं फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
9. सचिव, शिकायत निवारण प्राधिकारण, सरदार सरोवर परियोजना/नर्मदा संकुल, भोपाल।
10. सचिव/संचालक (प्रशासन), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
11. मुख्य सूचना अधिकारी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया उक्त आदेश को वेबसाईट पर दर्ज करने का कष्ट करें।
12. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
13. माननीय सदस्य श्री ....।
14. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27-2-15

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग